0/C

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 1520/अका./सम्बद्धता/2016 रायपुर, दिनांक 21/06/2016

।। आदेश ।।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.04.2016, विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2016 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 के अनुमोदनानुसार **नेताजी सुभाष महाविद्यालय बेलभाठा, अभनपुर, रायपुर, जिला – रायपुर (छ.ग.)** को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय **(सीट वृद्धि)** एवं सत्र के लिए अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:–

क्र.	कक्षा/विषय		छात्र संख्या	सत्र
1.	सीट वृद्धि	B.P.Ed. (पूर्व सीट संख्या 50) (सीट वृद्धि 50)	100	2016-17

शर्ते :–

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.04.2016, विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2016 के निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06. 2016 में हुए अनुमोदनानुसार महाविद्यालय को एन.सी.टी.ई. के पत्र क्रमांक WRC/APW/02420/724009/2015/143933 दिनांक 31/05/2015 के द्वारा B.P.Ed. में सीट वृद्धि की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
02. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
06. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है ।
07. परिनियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से **तीन माह में अथवा सत्र 2016–17 प्रारंभ होने के पूर्व** नियुक्त/पूर्ण करें।
08. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।
09. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी ।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 1521/अका./सम्बद्धता/2016 रायपुर, दिनांक 21/06/2016

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
03. संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
04. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
05. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
06. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ ।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

17.6.16

E:\Desktop\Private Colleges\Sambdhata Adesh-2016.docx 4